झारखण्ड में आरक्षण–प्रश्नोत्तरी

1 प्रश्न– सरकारी सेवा में आरक्षण से क्या तात्पर्य है?

उतर भारत संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के अधीन सरकारी पदों एव सेवाओं में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गो का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु॰ जातियों, अनु॰ जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधि0–2001 के अनुसार सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के लिए विहित अनुपात में पद आरक्षित है। (झारखण्ड गजट संख्या 296 दिनांक 29.11.2001)

2 प्रश्न– कौन–कौन सी संस्थाएँ आरक्षण के दायरे में आती है?

उतर– किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार या सहकारी समिति अधिनियम,1935 (बिहार अधिनियम 6, 1935) के अधीन निबन्धित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगाई गई है और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहाय्यिकी इत्यादि के रूप में सहायता प्राप्त करते है और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक आर उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया है या सहायता प्रदान करती है; सावजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना से अभिप्रत है कोई उद्योग, वाणिज्य, व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत, नियंत्रित या प्रबधित होः– (I), राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभागः–(II) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम–I; 1956) की धारा 617 में तथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसक अधीन स्थापित निगम जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के एक्यावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी हो।

सन्दर्भ–झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु॰ जातियों, अनु॰ जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधि0–2001

3. प्रश्न–किन संस्थानों में –झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु॰ जातियों, अनु॰ जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधि0–2001 प्रभावी नहीं है ?

उत्तर– अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित मामले में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। अधिनियम की धारा 3 निम्नलिखित है;

3. प्रयोज्यता–यह अधिनियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगाः–

(क) केन्द्र सरकार के अधोन काई नियोजन ;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन ;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;

(घ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति ; और

(ड़) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे ; परन्तु यह कि इस धारा क अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद तुरन्त राज्य विधान–सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा जा एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं।

4. प्रश्न– झारखण्ड राज्य में आरक्षण का परिमाण क्या है ?

उत्तर– झारखण्ड राज्य में राज्यस्तरीय पदों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति तथा विनिर्दिष्ट राज्यस्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु निम्न परिमाण में आरक्षण की व्यवस्था है;

आरक्षित वर्ग	**नियुक्ति**	**प्रोन्नति**
अनुसूचित जनजाति–	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत
अनुसूचित जाति –	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
अ0 पि0 वर्ग (अनु0–1)	08 प्रतिशत	
पिछडा वर्ग (अनु0–2)	06 प्रतिशत	

इसके अतिरिक्त निम्न अनुपात पद क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं।

आरक्षित वर्ग	नियुक्ति
महिला–	05प्रतिशत
निःशक्तजन–	03प्रतिशत
खेलकूद कोटा–	02 प्रतिशत

सन्दर्भ–संकल्प संख्या 5776 दिनांक 10.10.2002, संकल्प संख्या 5800 दिनांक 10.10.2002

5. प्रश्न– जिलास्तरीय पदों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति तथा विनिर्दिष्ट जिलास्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु पदो पर आरक्षण किस रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तर–कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 5795 दिनांक 10.10. 2002 के अनुसार जिला स्तर पर आरक्षित कोटि की रिक्तियों को विभिन्न कोटियो में विभाजित करने हेतु अविभाजित बिहार में लागू व्यवस्था के अनुरूप सर्वप्रथम अनुसूचित जाति को वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जिलावार जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इसके उपरान्त अनुसूचित जनजाति को वर्ष 1991 की जिलावार जनगणना के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। अगर दोनो को मिलाकर संख्या 50 प्रतिशत से बढ़ जाती है, तो आरक्षण 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाता है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति एवं जाति को आरक्षण उपलब्ध कराने के बाद 50 प्रतिशत की संख्या में से जो संख्या उपलब्ध होती है वह शेष प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0पि0व0 एवं पि0व0) को एक कोटि मानकर आरक्षण उपलब्ध कराये जाने का निर्णय है।

6. प्रश्न–अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विभाजन किस तिथि से प्रभावी है ?

उत्तर– संकल्प संख्या 5162 दिनांक 25.09.2008 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के रूप में विभाजित करते हुए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 08 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग को 06 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। यह दिनांक 25.09. 2008 से प्रभावी है।

7. प्रश्न–आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत प्राप्त करने की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर किसी संवर्ग/कोटि के लिए कुल स्वीकृत पद बल के आधार पर गठित रोस्टर के अनुसार आरक्षण का प्रतिशत प्राप्त की जाती है।

8. प्रश्न– क्षैतिज आरक्षण किस रूप में विनियमित होता है ?

उत्तर– खुली गुणागुण कोटि के बाद क्षैतिज रूप से आरक्षित कोटि यथा निःशक्तजन महिला एवं खेल कूद कोटा के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध सुयोग्य उम्मीदवार का चयन कर

नियुक्ति की व्यवस्था होती है। इस प्रकार चयनित उम्मीदवार जिस गैर आरक्षित/ आरक्षित वर्ग का होता है उन्हें उसी वर्ग के विरूद्ध नियुक्त माना जाता है।

9. प्रश्न– आरक्षित वर्गो के बीच रिक्त पदों के विनिमय की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर– पद आधारित आरक्षण व्यवस्था में किसी आरक्षित कोटि के लिए भरे जाने वाले पदों की संख्या उतनी ही होती है जितनी उस कोटि के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित है। इस व्यवस्था में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु॰ जातियों, अनु॰ जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधि0– 2001 की धारा 4 (6) के अधीन आरक्षित वर्गो के बीच में रिक्त पदो के विनिमय की जो व्यवस्था मौजूद थी वह –झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु॰ जातियों, अनु॰ जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वगा के लिए) (संशोधन) अधि0– 2011 के अनुसार अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से समाप्त हो गई है।

सन्दर्भ–झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु॰ जातियों, अनु॰ जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधि0– 2011

10. पश्न–छोटे पद समूहों में आरक्षण का प्रतिशत किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर–संकल्प संख्या 1072 दिनांक 17.02.2009 के परिशिष्ट II एवं परिशिष्ट IV द्वारा क्रमशः नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में छोटे पद समूहों के लिए रोस्टर गठित है। पदों की संख्या के आधार पर चक्रानुक्रम (रोटेशन) में रोस्टर संचालित कर निर्धारित आरक्षण प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है।परिपत्र संख्या– 1206 दिनांक– 20.02.2009 के अधीन यह व्यवस्था है कि प्रशासी विभाग किसी संवर्ग विशेष में प्रत्येक तीसरे भर्ती वर्ष उपलब्ध कराये गये आरक्षण के आधार पर निर्धारित आरक्षण प्रतिशत प्राप्त करने हेतु सामंजन कर सकते है।

सन्दर्भ–संकल्प संख्या 1072 दिनांक 17.02.2009 तथा परिपत्र संख्या 1206 दिनांक 20.02. 2009

11. प्रश्न–आरक्षण रोस्टर का गठन किस प्रकार होता है ?

उत्तर– आरक्षण अधिनियम एवं अनुषंगी संकल्पो के आलोक में विभिन्न आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार किसी सम्वर्ग के अन्तर्गत किसी कोटि के लिए स्वीकृत कुल पदों के आलोक में आरक्षित पदों की संख्या निर्धारित की जाती है।

राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति तथा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थाना में नामांकन हेतु झारखण्ड राज्य में सभी आरक्षित वर्गो के लिए निर्धारित प्रतिशत का योग 50 प्रतिशत मानते हुए प्रत्येक विषम अंक वाले पद गैर आरक्षित वर्ग के लिए तथा सम अंक वाले पद किसी–न–किसी आरक्षित वर्ग को उपलब्ध कराने का निर्णय है।

तदनुसार राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति तथा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु पदों का आरक्षण रोस्टर विभागीय संकल्प संख्या– 1072 दिनांक– 17.02..2009 द्वारा गठित है। नियुक्ति के मामले में 11 एवं उससे कम संख्या वाले पदो तथा प्रोन्नति के मामले में 5 या उससे कम संख्या वाले पदों में रोस्टर का परिचालन चक्रानुक्रम में किए जाने की व्यवस्था है।

जहाँ तक प्रोन्नति का प्रश्न है, केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनाजाति के लिए सीधी भर्ती के निमित यथा उपबन्धित अनुपात में आरक्षण उपलब्ध है।

12. प्रश्न–क्षैतिज आरक्षण हेतु पदो का परिकलन किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर– विकलांगता अधिनियम 1995 (केन्द्रीय अधिनियम) के आलोक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 7281 दिनांक 07.11.2007 के अनुसार निःशक्त जनों के लिए आरक्षित 3 प्रतिशत पद का आरक्षण रोस्टर बिन्दु निर्धारित किया गया है। उसके अनुसार पदों की गणना नियुक्ति एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु उपलब्ध पद/सीट के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अनारक्षित/आरक्षित वर्ग के अंतर्गत रिक्त पद के आधार पर की जाती है।

सन्दर्भ– परिपत्र संख्या 2289 दिनांक 18.07.2005 तथा संकल्प सख्या 7281 दिनांक 07.11. 2007

13. प्रश्न–अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का आरक्षण हेतु समायोजन किस प्रकार होता है ?

उत्तर– अनुकम्पा आधारित नियुक्ति के मामले में चयनित अभ्यर्थी जिस अनारक्षित/आरक्षित वर्ग के होंगे उसका सामंजन उसी अनारक्षित/आरक्षित वर्ग के विरूद्ध होगा। अर्थात यदि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में रिक्त पद आरक्षित कोटि के लिए अनुमान्य है तो वह आरक्षित पद अग्रणीत करते हुए नियुक्त किया जायेगा।

सन्दर्भ – परिपत्र संख्या 13293 दिनांक 05.10.1991

14.प्रश्न–उदग्र आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर– उदग्र आरक्षण भारत संविधान की धारा 16(4) के तहत विनिर्दिष्ट जातियों/समुदायों को दिया जाने वाला आरक्षण उदग्र आरक्षण कहलाता है।

क्षैतिज आरक्षण : प्रत्येक जाति/कोटि के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्य से किसी खास तरह के लोगों के लिए दिये जाने वाले आरक्षण जो उदग्र आरक्षण के अन्तर्गत ही होता है, क्षैतिज आरक्षण कहलाता है। यथा निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के अधीन दृष्टि निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता तथा शारीरिक विकलांगता/प्रमष्तिकीय पाल्सी ग्रसित जन के लिए आरक्षण। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनु॰ जातियों, अनु॰ जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधि0–2001 क तहत महिला एवं लब्ध प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को दिया जाने वाला आरक्षण क्षैतिज रूप से विनियमित होता है।

सन्दर्भ– संकल्प संख्या 7281 दिनांक 07.11.2007

15. प्रश्न–आरक्षण की सुविधा प्राप्त करन के लिए कौन सी शर्ते पूरी करनी है ?

उत्तर– आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की जाति/कोटि राज्य की अधिसूचित सूची में होनो चाहिए। साथ ही उसे झारखण्ड राज्य का निवासी (domicile) भी होना आवश्यक है।

सन्दर्भ– परिपत्र संख्या 5448 दिनांक 12.09.2011

16. प्रश्न–झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में अत्यन्त पिछड़ा वर्गो के लिए भिन्न–भिन्न आरक्षण प्रतिशत निर्धारित है इसका आधार क्या है ?

उत्तर– कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 5795 दिनांक 10.10.02 के अनुसार जिला स्तर पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित कोटि की रिक्तियों को विभिन्न कोटियों में विभाजित करने हेतु अविभाजित बिहार में लागू व्यवस्था के अनुरूप सर्वप्रथम अनुसूचित जाति को 1991 को जनगणना के अनुसार जिलावार जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण उपलब्ध कराया जाय। इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति का 1991 की जिलावार जनगणना के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराया जाना है। अगर दोनों को मिलाकर 50 प्रतिशत से संख्या बढ़ जाती है तो आरक्षण 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाएगा। इस प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उपलब्ध कराने के बाद 50 प्रतिशत में से संख्या उपलब्ध होती है तो वह शेष प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गो (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को मिलाकर एक कोटि मानकर) उपलब्ध कराया जाय।

सन्दर्भ–संकल्प संख्या 5795 दिनांक 10.10.2002, संकल्प संख्या 2020 दिनांक 09.04.2010

17. प्रश्न–क्या आरक्षित पद को अनारक्षित किया जा सकता है?

उत्तर– नहीं। पद आधारित आरक्षण व्यवस्था में आरक्षित पद का अनारक्षण संभव नहीं है।

18. प्रश्न–किस पुनरीक्षित वेतनमान वाले पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का कार्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाता है ?

उत्तर–विभागीय परिपथ संख्या 4553 दिनांक 23.07.2008 के अनुसार राज्य स्तरीय सेवा/कोटि के अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 वर्तमान में पी0बी0 ii वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 से अधिक के वेतनमान वाले पदों का रोस्टर क्लियरेंस संबंधी प्रस्ताव पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति अपेक्षित है। इससे कम वेतनमान वाले पदों का रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्रशासी विभाग को सक्षम प्राधिकार माना गया है।

19. प्रश्न–विकलांग/निःशक्तजन को दिया जाने वाला क्षैतिज आरक्षण किस रूप में विनियमित होता है ?

उत्तर– विभागीय संकल्प संख्या 7281 दिनांक 07.11.2007 के अनुसार किसी सेवा/संबंध के लिए गठित रोस्टर के अनुसार प्रथम 33 पद में एक दृष्टि निःशक्तता, 34 से 66 पद में से एक पद श्रवण निःशक्तता तथा 67 से 100 पद में से एक पद शारीरिक विकलांगता/सेरेब्रल पाल्सी को अनुमान्य होता है।

छोटे पद समूहो में चक्र के आधार पर निःशक्त जनों के लिए पदों की अनुमान्यता निर्धारित की जाती है।

20. प्रश्न–बैकलॉग आरक्षण की क्या अवधारणा है ?

उत्तर–भारत संविधान के अनुच्छेद 16 (4 B) के अनुसरण में गठित संकल्प संख्या 918 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार किसी नियुक्ति वर्ष में आरक्षित वर्गो के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या अनारक्षित कोटि के लिए परिगणित रिक्त पद की संख्या से अधिक नहीं होगी।

आरक्षित कोटि का अनारक्षित कोटि से रिक्त अधिक रिक्त पद अलग कोटि के पद के रूप में पहचान किया जाता है, जो बैकलॉग रिक्ति के रूप में परिभाषित होता है। इसकी भर्ती अलग नियुक्ति प्रक्रिया अपनाकर पूरी की जाती है।

सन्दर्भ –संकल्प संख्या 918 दिनांक 01.02.2012

21. प्रश्न–यदि पद प्रमण्डलीय स्तर का हो तो किस जिला का रोस्टर लागू होगा ?

उत्तर–प्रमण्डल स्तरीय पद के लिए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण उस जिल के आरक्षण रोस्टर के आधार पर किया जाता है, जिस जिला में प्रमण्डल मुख्यालय स्थापित है।

सन्दर्भ –संकल्प संख्या 5680 दिनांक 08.10.2003

22. प्रश्न–वैसे सरकारी कर्मी जो राज्य गठन के पूर्व आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए और कैडर विभाजन के आधार पर इस राज्य में पदस्थापित है तथा यदि वे बिहार राज्य के निवासी है, क्या वे आरक्षित श्रेणी के कर्मी माने जाते है ?

उत्तर–हाँ, एकीकृत बिहार में नियुक्त तथा संवंर्ग विभाजन के आधार पर झारखण्ड राज्य में पदस्थापित आरक्षित श्रेणी के कर्मियों की आरक्षण कोटि अप्रभावित रहनी है। (परिपत्र संख्या 4722 दिनांक 14.08.2008)

23. प्रश्न–सीधी भर्ती के मामले आरक्षित वर्ग की उपयुक्तता मं किस प्रकार की छूट अनुमान्य है ?

उत्तर–आरक्षित वर्ग के लोगों को आयु, लिखित परीक्षा में बैठने की अवसरों, अनुभव, विचारण क्षेत्र के विस्तारण में छूट अनुमान्य है।

सन्दर्भ– संकल्प संख्या 2096 दिनांक 25.04.2011, 2959 दिनांक– 03.04.2013, 13026 दिनांक–27.11.2012

24. प्रश्न–अनारक्षित श्रेणी में क्या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते है ?

उत्तर– आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग को अनुमान्य छूट की सुविधा प्राप्त किये बिना अनारक्षित श्रेणी में चयनित होते है, वे अनारक्षित रूप में आते है।

अर्थात जिन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन उन्ही मानकों के आधार पर होता है जो मानक सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित है को अनारक्षित पदो के विरूद्ध नियुक्त किया जाता है।

सन्दर्भ– परिपत्र संख्या 12165 दिनांक 31.10.2012

25. प्रश्न–नियोजन के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकार कौन है ?

उत्तर– नियोजन के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी /जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी अधिकृत प्राधिकार घोषित है।

सन्दर्भ–परिपत्र संख्या 4156 दिनांक 17.07.2002

26. प्रश्न–स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र किस आधार पर निर्गत किया जाता ह ?

उत्तर–प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि आवेदक का आवेदन नियोजन के संबध में ही है, और उसी जिले का निवासी है जहां से प्रमाण पत्र निर्गत होना है, के उपरान्त पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इत्यादि में आवेदक या उसके पूर्वजों के नाम से जमीन वासगीत आदि की जाँच के आधार पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए) निर्गत हो सकता है।

सन्दभ– परिपत्र संख्या 4156 दिनांक 17.07.2002

27. प्रश्न–किस स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र नियोजन हेतु मान्य होगा ?

उत्तर– परिपत्र संख्या 3540 दिनांक 03.07.2004 के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र नियोजन एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं से सम्मिलित होने के लिए मान्य होगा।

28. प्रश्न–यदि कोई व्यक्ति भूअभिलेख, अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता हो तो उस व्यक्ति का जाति का निर्धारण किस आधार पर होगा ?

उत्तर– वैसे व्यक्तियों के जाति का निधारण परिपत्र संख्या 3540 दिनांक 03.07.2004 एवं 3376 दिनांक 05.06.2008 के अनुसार स्थानीय जाँच के आधार पर संभव है।

29. प्रश्न–आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखण्ड राज्य के किस सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा ?

उत्तर–परिपत्र संख्या 7072 के अनुसार झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

30. प्रश्न–यदि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता हो तो उसकी अनुसूचित जनजाति स्टेट्स पर क्या प्रभाव पडगा ?

उत्तर– धर्म परिवर्तन के बावजूद किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति स्टेट्स अप्रभावित रहेगी।

31. प्रश्न–यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता हो, तो उसकी अनुसूचित जाति स्टेट्स पर क्या प्रभाव पडगा ?

उत्तर– धर्म परिवर्तन के पश्चात वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जायेगा किन्तु यदि वह व्यक्ति अपना पूर्ववर्ती धर्म पुनः अपना लेता है तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा।

32. प्रश्न–किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से उत्पन्न संतति की जाति का निर्धारण किस आधार पर होगा ?

उत्तर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं गैरअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संतानों की जाति का निर्धारण उस परिवेश के आधार पर होता है जिस परिवेश में उन संतानों का लालन पालन होता है।

33. प्रश्न–अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी क्षेत्र विशेष के लिए किसी जाति की घोषणा हेतु सक्षम प्राधिकार कौन है ?

उत्तर–भारत संविधान के अनुच्छेद 341 (1) के अन्तर्गत किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र विशेष के लिए राज्यपाल से परामर्श के उपरान्त भारत राष्ट्रपति किसी जाति उपजाति या समह का नाम अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकते है।

34. प्रश्न–अनुसूचित जाति के रूप में किसी क्षेत्र विशेष के लिए किसी जाति की घोषणा हेतु सक्षम प्राधिकार कौन है ?

उत्तर–भारत संविधान के अनुच्छेद 342 (1) के अन्तर्गत किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र विशेष के लिए राज्यपाल से परामर्श के उपरान्त भारत राष्ट्रपति किसी जाति उपजाति या समूह का नाम अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित कर सकते है।

35. प्रश्न–झारखण्ड राज्य में आवासित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्यिों को आरक्षण की सुविधा झारखंड में प्राप्त हो सकती है, या नहीं ?

उत्तर–परिपत्र संख्या 3557 दिनांक 18.10.2005 के अनुसार आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के लिए सम्बंधित व्यक्ति को झारखंड राज्य का मौलिक रूप से निवासी होना आवश्यक है।

अर्थात् अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके मूल राज्य से ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य है।

36. प्रश्न– अन्य पिछड़ा वर्ग की अवधारणा भारत सरकार में कब से लागू हुई, और अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर–अप्रैल 1993 में भारत सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन्दिरा साहनी मामले में पारित आदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम अधिनियमित किया गया।

उक्त अधिनियम के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य वैसे पिछड़े नागरिकों से है, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नही है। अन्य पिछड़े वर्गो की एक सूचो भी तैयार की गई जो अलग–अलग राज्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गो की केन्द्रीय सूची के रूप में जाना जाता है।

सन्दर्भ– कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 दिनांक 08.09.1993

37. प्रश्न–केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किसी अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के लिए निवासी से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर–कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 36012/22/93 ईष्ट (एस0 सी0 टी0) दिनांक 08.09.1993 द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में अंकित सामान्यतः निवास से तात्पर्य है, वैसा निवास जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में वर्णित आवास।

38. प्रश्न–केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु सक्षम प्राधिकार कौन है ?

उत्तर–जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/समाहर्त्ता/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उपसमाहर्ता/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक

आयुक्त/तहसीलदार से उपर स्तर के राजस्व पदाधिकारी केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित है।

सन्दर्भ–कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 36012/22/93 ईष्ट (एस0 सी0 टी0) दिनांक 08.09.1993

39. प्रश्न–क्रोमी लेयर से क्या तात्पर्य है?

उत्तर–सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार समुन्नत व्यक्ति क्रिमी लेयर के अन्तर्गत आते है।

सन्दर्भ–कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 36012/22/93 ईष्ट (एस0 सी0 टी0) दिनांक 08.09.1993

40. अनुसूचित जाति एवं जनजाति में क्रिमी लेयर की अवधारणा लागू है अथवा नहीं?

उत्तर– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामले में क्रिमी लेयर की अवधारणा नहीं है।

41. प्रश्न–क्या झारखण्ड राज्य में अ0 पि0 व0/पि0 व0 में क्रिमी लेयर की अवधारणा है ?

उत्तर– हाँ, **झा**रखण्ड राज्य में अ0 पि0 व0/पि0 व0 में क्रिमी लेयर की व्यवस्था संकल्प संख्या 3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा की गई है। इससे तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति क्रिमी लेयर के अन्तर्गत आते हैं उन्हें सम्बन्धित वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं है। क्रिमी लेयर की जाँच हेतु भारत सरकार द्वारा जो अनुदेश लागू है वह इस राज्य में भी यथारूप लागू है।

42. प्रश्न–राज्य की कौन सी जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित होगी ? इसकी अनुशंसा किस निकाय से प्राप्त होती ह ?

उत्तर–पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अधिनियम 2002 के अन्तर्गत गठित पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग की अनुसंशा के आलोक में किसी जाति विशेष को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

सन्दर्भ–पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अधिनियम 2002

43. प्रश्न–राज्य की अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के रूप में ननक्रिमी लेयर हेतु आय का मानक क्या है ?

उत्तर– राज्य की अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के रूप में ननक्रिमी लेयर हेतु आय का मानक रूपये छह लाख (600000.00) प्रतिवर्ष निर्धारित है।

सन्दर्भ–परिपत्र सं0– 5102 दिनांक– 13.05.2013

44. प्रश्न–जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय सीमा क्या है ?

उत्तर–परिपत्र संख्या 5682 दिनांक 22.10.2008 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय सीमा निम्नवत हैः–

(क) प्रखण्ड/अंचल कार्यालय – 7 कार्य दिवस

(ख) अनुमंडल कार्यालय – 7 कार्य दिवस

(ग) जिला कार्यालय – 7 कार्य दिवस

45. प्रश्न–अ0ज0जा0/अ0जा0 से उत्पन्न संतान को यदि अनारक्षित वर्ग द्वारा कानूनन गोद लिया जाता है और उसकी पूरी परवरिश अनारक्षित श्रेणी में सभी संस्कारों के द्वारा की जाती है, तो उन्हें आरक्षित श्रेणी का लाभ मिलेगा अथवा नहीं?

उत्तर– नहीं । आरक्षित श्रेणी की सुविधा पाने के लिए उसकी अलाभकारी स्थिति (disadvantagious situation) में परवरिश के आधार माना गया है, इसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य माने जायेंगे अथवा नहीं।

प्रश्नगत मामले में चूंकि अ0 ज0 जा0 से उत्पन्न संतान द्वारा कोई disadvantagious situation में नही रहा है। अतः वह व्यक्ति अ0 ज0 जा0/अ0 जा0 कोटि में नहीं माना जा सकता है।

46. प्रश्न– फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जाँच की व्यवस्था क्या है ?

उत्तर– कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–3630 दिनांक–08.07.2004 के द्वारा एक छानबीन समिति गठित है जिसके सदस्य सचिव, आदिवासी

कल्याण आयुक्त होते है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत मिलने पर उक्त छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता की जाँच की जाती है।

सन्दर्भ– अधिसूचना संख्या–3630 दिनांक– 08.07.2004

47. प्रश्न– निःशक्तजनों की लिखित परीक्षा में कौन–कौन सी सुविधाएं प्राप्त है ?

उत्तर– 40 प्रतिशत से अधिक विकलागता वाले व्यक्ति अपने लिए स्क्राईब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक, रख सकते है। अपनी सुविधा से ब्रेल लिपी/कम्प्यूटर रख सकते है। लिखित परीक्षा में सामान्य जनों की तुलना में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

सन्दर्भ–4821 दिनांक 05.06.2013

48. नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के मामले में संवर्गीय एकल पद हेतु क्या आरक्षण का अनुपालन किया जाता है ?

उत्तर– परिपत्र सं0 –4423 दिनांक– 05.08.2002 के अनुसार संवर्गीय एकल पद में आरक्षण लागू नहीं रहेगा, अर्थात् जहाँ पर एकल पद हो वहाँ पर आरक्षण रोस्टर के आधार पर पद नहीं भरा जायेगा।

49. निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र किस स्तर के प्राधिकारी द्वारा मान्य है ?

उत्तर– निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधित रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड सक्षम प्राधिकार घोषित है।

सन्दर्भ– संकल्प सं0– 7281 दिनांक 07.11.2007

****